मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVI अंक 7 जनवरी 2021

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1
II. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	2
III. पर्यवेक्षण	2
IV. भुगतान एवं निपटान प्रणाली	3
V. सरकार के लिए बैंक	3
VI. वित्तीय स्थिरता	3
VII. अनुसंधान	4
VIII. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका जनवरी माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचे पर चर्चा पत्र

रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2021 को अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर एनबीएफ़सी के लिए संशोधित विनियामक ढाँचे पर चर्चा पत्र- एक स्केल आधारित दृष्टिकोण जारी किया। उक्त पत्र को जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर एनबीएफ़सी, बाज़ार सहभागियों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियों के लिए जारी किया गया है। चर्चा पत्र की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

एनबीएफ़सी का विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा चार-स्तरीय संरचना- आधार स्तर (बेस लेयर), मध्य स्तर (मिडिल लेयर), उच्च स्तर (अपर लेयर) और एक संभावित शीर्ष स्तर (टॉप लेयर) पर आधारित होगा। निचले स्तर के एनबीएफ़सी को एनबीएफ़सी- बेस लेयर (एनबीएफ़सी-बीएल) के नाम से जाना जाएगा। मध्य स्तर के एनबीएफ़सी को एनबीएफ़सी- मिडिल लेयर (एनबीएफ़सी-एमएल) के नाम से जाना जाएगा और अपर लेयर के एनबीएफ़सी को एनबीएफ़सी- अपर लेयर (एनबीएफ़सी-यूएल) के रूप में जाना जाएगा और एक नए विनियामक अधिरचना को आमंत्रित करेगा। अपर लेयर में एनबीएफसी की पहचान करने के लिए, मापदंडों के विभिन्न प्रकार अर्थात्, अन्य बातों के अलावा आकार, उत्तोलन, अंतरसंबद्धता, प्रतिस्थापन, जटिलता, एनबीएफ़सी के कार्यकलापों की प्रकृति पर विचार किया जा सकता है।

आधार स्तर (बेस लेयर)

❑ बेस लेयर में प्रकार I एनबीएफ़सी, एनओएफएचसी एनबीएफसी-पी 2 पी और एनबीएफसी-एए के अलावा वर्तमान में गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में वर्गीकृत एनबीएफ़सी शामिल होंगे।

❑ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण के लिए वर्तमान सीमा ₹500 करोड़ है। 2014 के बाद से मूल्य के सामान्य सीमा के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ वास्तविक जीडीपी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को पुनर्संशोधन (रेकैलिब्रेशन) करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सीमा को संशोधित कर के ₹1000 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

❑ कीमतों में वृद्धि, वास्तविक जीडीपी और विनियामक निर्णय के आधार पर, प्रवेश बिंदु मानदंड को ₹2 करोड़ से ₹20 करोड़ तक संशोधित किया जाएगा।

❑ 180 दिनों के मौजूदा एनपीए वर्गीकरण मानक को 90 दिनों के लिए सामंजस्य बनाया जाएगा। अतः, 90 दिनों की अतिदेय स्थिति का एनपीए मानदंड एनबीएफसी ग्राहक के कारोबार में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

मध्य स्तर (मिडिल लेयर)

❑ मध्य स्तर में सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी शामिल होंगे, जो वर्तमान में एनबीएफसी-एनडी-एसआई के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इस स्तर में उन एनबीएफ़सी को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें अपर लेयर में शामिल किए जाने के लिए पहचाना गया है।

❑ एनबीएफसी के लिए उनके ऋण और निवेश हेतु निर्धारित वर्तमान ऋण संकेद्रण सीमा को एनबीएफसी की टियर 1 पूंजी से अवलंबित एकल उधारकर्ता के लिए 25 प्रतिशत और उधारकर्ताओं के समूह के लिए 40 प्रतिशत की एकल जोखिम सीमा में विलय की जा सकती है।

❑ बैंकों की तरह, एनबीएफसी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की आवश्यकता के अधीन होगा।

❑ एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) के लिए लगातार तीन वर्षों का एक समान कार्यकाल लागू किया जा सकता है। तीन वर्षों के निरंतर लेखा परीक्षा कार्यकाल के पूरा होने के बाद एसए / फर्म छह वर्ष की अवधि के लिए उसी एनबीएफसी के एसए के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

❑ जबकि आईपीओ वित्तपोषण के लिए बैंकों के लिए ₹10 लाख की सीमा है, एनबीएफसी के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। एनबीएफ़सी के विशिष्ट कारोबारी मॉडल को ध्यान में रखते हुए, किसी भी एनबीएफ़सी के लिए प्रति व्यक्ति ₹1 करोड़ की सीमा तय करना प्रस्तावित है।

❑ यह सुझाव दिया गया है कि 10 और अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को कोर बैंकिंग समाधान को अनिवार्य रूप से अपनाने की आवश्यकता होगी।

उच्च स्तर (अपर लेयर)

❑ स्केल आधारित विनियामक ढांचे की उच्च स्तर में केवल वे एनबीएफसी शामिल होंगे, जिन्हें निर्धारित मापदंडों के आधार पर विशेष रूप से एनबीएफसी के बीच प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफ़सी के रूप में पहचाना गया है। इस स्तर में शामिल किए जाने वाले एनबीएफ़सी की संख्या पैरामीट्रिक विश्लेषण द्वारा दिये गए समग्र स्कोर पर निर्भर होगी। यह उम्मीद की जाती है कि कुल 25 से 30 एनबीएफसी से ज्यादा इस स्तर में शामिल नहीं किए जाएंगे।

❑ ऐसा लगता है कि सीईटी 1 को एनबीएफ़सी-यूएल की विनियामक पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आरंभ किया जा सकता है। यह प्रस्तावित है कि सीईटी 1 को टीयर I पूंजी के भीतर 9 प्रतिशत पर निर्धारित किया जा सकता है।

शीर्ष स्तर (टॉप लेयर)

❑ शीर्ष स्तर को खाली रखा जा सकता है। यह स्तर भर सकता है यदि रिज़र्व बैंक यह ध्यान देता है कि शीर्ष स्तर में विशिष्ट एनबीएफसी प्रणालीगत जोखिम स्पील-ओवरों में एक सतत वृद्धि हुई है। इस स्तर में एनबीएफ़सी पूंजी संरक्षण बफ़र्स सहित उच्च पूंजी प्रभार के अधीन होंगे।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल ऋण पर कार्य दल

रिज़र्व बैंक ने 13 जनवरी 2021 को विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया है ताकि एक उचित नियामक दृष्टिकोण रखा जा सके। डब्ल्यूजी के लिए संदर्भ की शर्तें इस प्रकार होंगी:

❑ रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में डिजिटल ऋण गतिविधियों का मूल्यांकन करना और आउटसोर्स की गयी डिजिटल ऋण गतिविधियों के मानकों का आकलन करना;

❑ वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं और उपभोक्ताओं को अनियमित डिजिटल ऋण द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करना;

❑ डिजिटल ऋण देने की क्रमिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विनियामक परिवर्तन, यदि कोई हो, का सुझाव देना;

❑ विशिष्ट विनियामक या सांविधिक परिधि के विस्तार के लिए उपाय, यदि कोई हो, सुझाना और विभिन्न विनियामक और सरकारी एजेंसियों की भूमिका का सुझाव देना;

❑ डिजिटल ऋण देने वाले खिलाड़ियों, आंतरिक स्त्रोत या बाहरी स्त्रोत के लिए एक मजबूत उचित व्यवहार संहिता की सिफारिश करना;

❑ उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना; तथा

❑ डिजिटल ऋण सेवाओं के नियोजन के लिए मजबूत डाटा प्रशासन, डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा मानकों के लिए उपायों की सिफारिश करना।

दल को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र

रिज़र्व बैंक ने 27 जनवरी 2021 को बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा जारी की। इस ढांचे में निम्न शामिल हैं-

i) बैंकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों पर खुलासे को बढ़ाया जाना;

ii) बैंकों से उन रखरखाव योग्य शिकायतों के निवारण की लागत की वसूली, जिनके खिलाफ बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) में प्राप्त शिकायतों की संख्या उनके सहकर्मी समूह औसत से अधिक है; तथा

iii) ऐसे बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र, जिनके निवारण तंत्र में हमेशा असुविधाएँ होती है, की रिज़र्व बैंक द्वारा गहन समीक्षा करना।

फ्रेमवर्क का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा प्राप्त शिकायतों की मात्रा और प्रकृति के साथ-साथ गुणवत्ता और निवारण में लगने वाले समय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना, संतोषजनक ग्राहक परिणामों को बढ़ावा देना और ग्राहकों के विश्वास में सुधार करना और ऐसे बैंकों के लिए, जिनके शिकायत निवारण तंत्र में हमेशा असुविधाएँ होती हैं, द्वारा उपचारात्मक कदम उठाने की पहचान करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. पर्यवेक्षण

आरबीआईए – अभिशासन को मजबूत बनाना

बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों से संबंधित उम्मीदों को संरेखित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 07 जनवरी 2021 को बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया:

❑ प्राधिकार, महता और स्वतंत्रता - आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य में बैंक के भीतर पर्याप्त प्राधिकार, महता, स्वतंत्रता और संसाधन अवश्य होने चाहिए, जिससे आंतरिक लेखा परीक्षकों को निष्पक्षता के साथ अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

❑ सक्षमता - बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक आंतरिक लेखा-परीक्षक का पेशेवर दक्षता, ज्ञान और अनुभव आवश्यक है।

❑ स्टाफ रोटेशन - उन संस्थाओं को छोड़कर, जहां आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य एक विशेष कार्य है और कैरियर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, बोर्ड को आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य में कर्मचारियों के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि निर्धारित करनी चाहिए।

❑ आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख (एचआईए) की नियुक्ति की अवधि - उन संस्थाओं को छोड़कर, जहां आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य एक विशेष कार्य है और कैरियर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, एचआईए को उचित रूप से लंबी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, अधिमानतः न्यूनतम तीन वर्षों के लिए।

❑ रिपोर्टिंग लाइन - एचआईए सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)/एमडी और सीईओ या स्थायी निदेशक (डब्ल्यूटीडी) को रिपोर्ट करेगी।

❑ पारिश्रमिक - आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कम किया जा सकता है यदि आंतरिक लेखा परीक्षा स्टाफ का पारिश्रमिक व्यावसायिक लाइनों के वित्तीय कार्यप्रदर्शन से जुड़ा होता है जिसके लिए वे ऑडिट जिम्मेदारियों का उपयोग करते हैं।

आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य को आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। हालाँकि, जहाँ आवश्यक हो, पूर्व कर्मचारियों सहित विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर एसीबी के अधीन काम पर यह सुनिश्चित करते हुए रखा जा सकता है कि बैंक के लेखा-परीक्षा कार्य में ऐसी विशेषज्ञता मौजूद नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पर्यवेक्षकों का कॉलेज

रिज़र्व बैंक ने 06 जनवरी 2021 को घोषणा की कि पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) जो मई 2020 से आभासी माध्यम से सीमित रूप से कार्य कर रहा था, अब पूरी तरह से शुरू हो रहा है। विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के उपायों के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने प्रवेश स्तर पर और निरंतर आधार पर अपने नियामक और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज स्थापित किया था। सीओएस के अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के पूर्व उप-गवर्नर श्री एन.एस. विश्वनाथन होंगे। सीओएस में एक पूर्णकालिक निदेशक होगा जिसे एक अकादमिक सलाहकार परिषद (एएसी) द्वारा समर्थन दिया जाएगा। रिज़र्व बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक डॉ. रबी नारायण मिश्रा को सीओएस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एएसी उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां कौशल निर्माण / अप-स्किलिंग की आवश्यकता होती है, सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा और उसे विकसित करेगा, अंतरराष्ट्रीय मानकों/सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कार्यक्रमों को बेंचमार्क करेगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का विकास आदि करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणाली

आरबीआई-डिजिटल भुगतान सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई-डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की व्यापकता और पैंठ मापने में सक्षम हैं। ये मापदंड हैं - (i) भुगतान एनबलर्स (भार 25 प्रतिशत), (ii) भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर-मांग-पक्ष कारक (10 प्रतिशत) (iii) भुगतान अवसंरचना – आपूर्ति- पक्ष कारक (15 प्रतिशत), (iv) भुगतान निष्पादन (45 प्रतिशत) और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5 प्रतिशत)। इन सभी मापदंडों में उप-मापदंड हैं जिसमें परिणामस्वरूप विभिन्न मापन - योग्य संकेतक हैं। प्रत्येक मापदंड के तहत प्रमुख उप-मापदंड यहां उपलब्ध हैं। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

पीआईडीएफ योजना का परिचालन

रिज़र्व बैंक ने भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के प्रबंधन के लिए उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद (एसी) का गठन किया है। पीआईडीएफ 01 जनवरी 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए परिचालित रहेगा और प्रगति के आधार पर इसे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीआईडीएफ का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना के नियोजन को सहायता प्रदान करना है। यह डिजिटल भुगतान के लिए प्रत्येक वर्ष 30 लाख नए टच पॉइंट बनाने की परिकल्पना करता है। सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया कि वे इस प्रयास में सहयोग करें - ए) समय-सीमा के भीतर पीआईडीएफ में अपना योगदान देना, और बी) स्वीकृति अवसंरचना को नियोजित करना और पीडीआईएफ से प्रतिपूर्ति की मांग करना। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

एलईआई को प्रारंभ करना

रिज़र्व बैंक ने 05 जनवरी 2021 को रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों अर्थात तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) का उपयोग करके संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) द्वारा किए गए ₹ 50 करोड़ मूल्य और उससे अधिक के सभी भुगतान लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। सभी भुगतान लेन-देन में एलईआई के व्यापक शुरूआत की तैयारी के लिए, सदस्य बैंकों को निम्नलिखित करना चाहिए:

- ❑ उन संस्थाओं को सूचित करना है जो समय पर एलईआई प्राप्त करने के लिए बड़े मूल्य के लेनदेन (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक) करते हैं, यदि उनके पास पहले से नहीं है;
- ❑ आरटीजीएस और एनईएफटी भुगतान संदेशों में प्रेषिति और लाभार्थी की एलईआई जानकारी शामिल करना;
- ❑ ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी लेनदेन का रिकॉर्ड आरटीजीएस और/या एनईएफटी के माध्यम से बनाए रखना।

संस्था किसी भी स्थानीय परिचालन इकाई (एलओयू) से एलईआई प्राप्त कर सकती है,जो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ), एक निकाय जो एलईआई के कार्यान्वयन और उपयोग का समर्थन करने का कार्य करती है द्वारा मान्यता प्राप्त हो । कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

भारत में भुगतान प्रणालियों पर पुस्तिका (बुकलेट)

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 जनवरी 2021 को भुगतान प्रणाली संबंधी बुकलेट जारी की, जिसमें मिलिनियम के दूसरे दशक के दौरान यथा, 2010 के प्रारंभ से लेकर 2020 के अंत तक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली की यात्रा को शामिल किया गया है। यह बुकलेट 2010 से 2020 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में भारत के परिवर्तन को कैप्चर करती है और अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न समर्थक (एनबलर्स), उपभोक्ताओं को उपलब्ध भुगतान विकल्प, अंगीकरण की सीमा इत्यादि को रेखांकित करने वाले विधिक और विनियामक वातावरण का वर्णन करती है। बुकलेट के डिजिटल संस्करण को यहां क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है।

V. सरकार का बैंकर

परिपत्रों को हटाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 जनवरी 2021 को सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंकों द्वारा भुगतान किए गए अधिक पेंशन की वसूली से संबंधित जारी निम्नलिखित परिपत्रों को वापस ले लिया है।

- ❑ Circular no DGBA.GAD.No.2960/45.01.001/2015-16 dated March 17, 2016
- ❑ Circular no CO.DGBA (NBS) No.44/GA.64 (11-CVL) 90/91 dated April 18, 1991
- ❑ Circular no CO DGBA (NBS) No.50/GA.64 (11-CVL) 90/91 dated May 6, 1991

हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए उल्लिखित उपर्युक्त परिपत्रों को वापस ले लिया गया है, एजेंसी बैंको से अनुरोध है कि, वे पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान,यदि कोई हो, की वसूली के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया के संबंध में संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि जहां कहीं भी बैंकों द्वारा की गयी गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ हो ऐसे मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद और पेंशनरों से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल एक मुश्त सरकार को वापस किया जाए। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VI. वित्तीय स्थिरता

एफ़एसडीसी उप-समिति की बैठक

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 13 जनवरी 2021 को मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय बाजारों के प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की जो वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डालती है। उप-समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, आईबीसी के तहत दिवालिया समाधान में सुधार की गुंजाइश, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के साथ डेटा के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) में स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) से संबंधित नियामक ढांचे में बदलाव पर चर्चा की। उप-समिति ने उनके दायरे में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की गतिविधियों और विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कार्यकलापों की भी

समीक्षा की। नियामकों ने वित्तीय स्थिरता के लिए उभरती चुनौतियों के प्रति सतर्क और सवाधान रहने के अपने संकल्प की फिर से पुष्टि की। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 11 जनवरी 2021 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के 22वें अंक को जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता के जोखिमों संबंधी वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन और वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है।

एफएसआर की मुख्य बातें:

❑ COVID-19 महामारी के प्रारंभिक चरण में, सामान्य कामकाज को बहाल करने और तनाव को कम करने को ध्यान में रखते हुए नीतिगत कार्रवाईयों को तैयार किया गया था; अब बहाली के समर्थन और कारोबारों तथा परिवारों के दिवालियापन को संरक्षित करने की दिशा में ध्यान को उन्मुख किया जा रहा है।

❑ टीके (वैक्सीन) के विकास पर सकारात्मक खबर ने संभावनाओं पर आशावाद को मजबूत किया है, हालांकि इसे अधिक संक्रामक उपभेदों सहित वायरस की दूसरी तरंगों ने आघात पहुंचाया है।

❑ नियामकों और सरकार द्वारा नीतिगत उपायों ने घरेलू बाजारों और वित्तीय संस्थानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया है; बढ़ती स्पिलओवर के बीच बाजार की अस्थिरता का प्रबंधन करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है, खासकर तब, जब वित्तीय बाजारों के कुछ क्षेत्रों में गति का वास्तविक क्षेत्र में विकास के साथ कोई तालमेल नहीं है।

❑ बैंक समूहों में मॉडरेशन के वैविध्यपूर्ण होने के साथ बैंक ऋण की वृद्धि मंद रही।

❑ बैंकों के कार्यनिष्पादन मापदंडों में काफी सुधार हुआ है, जो कि COVID-19 महामारी की प्रतिक्रिया में उपलब्ध कराए गए विनियामक व्यवस्था से समर्थित है।

❑ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) मार्च 2020 में 14.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2020 में 15.8 प्रतिशत हो गया, जबकि उनकी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात 8.4 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत हो गया और प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 66.2 प्रतिशत से बढ़कर 72.4 प्रतिशत हो गया।

❑ 7 जनवरी 2021 को जारी 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रथम अग्रिम अनुमानों को शामिल करने वाले समष्टि तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सभी एससीबी के जीएनपीए अनुपात सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 में 13.5 प्रतिशत हो सकता है; एक गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत यह अनुपात 14.8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह संपत्ति की गुणवत्ता में संभावित गिरावट का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी के अग्रसक्रिय निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

❑ नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि सितंबर 2020 को समाप्त हुई तिमाही में वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर में मामूली वृद्धि हुई है।

पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. अनुसंधान

रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2021-माह में अपने वर्किंग पेपर श्रृंखला के तहत तीन प्रकाशन प्रकाशित किए।

❑ पहले वर्किंग पेपर "भारत में मौद्रिक नीति संचरण: फर्म-बैंक मिलान डेटा से नया साक्ष्य" शीर्षक से रखा गया जिसके लेखक सौरभ घोष, अभिनव नारायणन और प्रणव गर्ग ने भारत से मौद्रिक नीति संचरण तंत्र में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक अद्वितीय फर्म-बैंक मिलान डेटा का उपयोग किया है। पेपर दर्शाता है कि मौद्रिक नीति संचरण बैंक ऋण देने और फर्मों के तुलन पत्र के लिए एक अंतराल के साथ काम करता है। कृपया संपूर्ण वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें।

❑ दूसरा वर्किंग पेपर "विनिर्माण क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक अभिरूपता: एक अनुभवजन्य प्रतिबिंब" शीर्षक से रखा गया है जिसके लेखक मधुरेश कुमार है और इसमें वैश्विक वित्तीय संकट (2008-09 से 2017-18) की बाद की अवधि के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) से पंजीकृत विनिर्माण फर्मों के डेटा का उपयोग किया है और भारत में 21 प्रमुख राज्यों और उनके प्रमुख चालकों के अभिरूपता पैटर्न की जांच की है। जबकि गरीब राज्यों में औसत निवल मूल्य वर्धित प्रति व्यक्ति (एनवीएपीसी) पर अभिरूपता दर्शाया है, अमीर और मध्यम आय वाले राज्यों ने विचलन प्रदर्शित किया। कृपया संपूर्ण वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें।

❑ तीसरा वर्किंग पेपर "भारत में मौद्रिक नीति पारदर्शिता और मुद्रास्फीति प्रत्याशा पर अंकुश लगाना" शीर्षक से रखा गया जिसके लेखक जी.पी.सामंत और श्वेता कुमारी ने किया हैं। यह पेपर भारत के लिए मौद्रिक नीति पारदर्शिता का सूचकांक बनाता है और मुद्रास्फीति प्रत्याशा पर अंकुश लगाने में पारदर्शिता की भूमिका की जांच करता है। अनुभवजन्य परिणाम बताते हैं कि 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) को अपनाने के बाद से नीति पारदर्शिता की डिग्री में वास्तव में काफी वृद्धि हुई है। कृपया संपूर्ण वर्किंग पेपर पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें।

VIII. जारी आंकड़े

माह जनवरी 2021 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए:

	विषय
1	दिसंबर 2020 के लिए ईसीबी / एफसीसीबी/आरडीबी के आंकड़े जारी
2	भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
3	भारत के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े-नवंबर 2020
4	जनवरी 2021 माह के लिए निधियों के सीमांत लागत आधारित उधार दर
5	दिसंबर 2020 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
6	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – सितंबर 2020
7	बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन-दिसंबर 2020
8	भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग संबंधी तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया: अक्टूबर-दिसंबर 2020(52वां दौर))

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।